राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1668/2010/उदयपुर.

मैसर्स के. बी. मेहता कंस्ट्रक्शन प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/6/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 56/RST/Remand/2008–09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 9.9.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.7.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.7.2004 को वाणिज्यिक कर चैकपोस्ट मावल पर वाहन संख्या आर.जे.19/1जी–4270 को चैक करने पर वाहन में 'वायर रोप' परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी/वाहन चालक ने माल से सम्बन्धित मैसर्स जे.इब्राहिम एण्ड कं0 मुम्बई का चालान संख्या 28200 दिनांक 16.7.2004 व बिल संख्या 10803 दिनांक 16.7.2004 (प्रेषिति–मैसर्स के.बी.मेहता कंस्ट्रक्शन कम्पनी, अहमदाबाद) एवं मैसर्स डेक्कन ट्रांसपोर्ट मुम्बई का कंसाइनमेंट नोट संख्या 7668 दिनांक 17.7.2004 प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि दस्तावेज मुम्बई से अहमदाबाद के बनाये गये हैं, जबकि माल जेकेपुरम सिरोही के लिये परिवहनित किया जाना बताया गया। इस प्रकार परिवहनित माल से सम्बन्धित राजस्थान राज्य के दस्तावेज नहीं होने पर माल को कब्जेराज लिया जाकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता

लगातार.....2

व्यक्त करते हुए शास्ति अदा करने की स्वीकारोक्ति की गयी। इस पर सक्षम अधिकारी ने माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 22.7.2004 पारित करते हुए शास्ति रूपये 92,700/— एवं 12 प्रतिशत कर रूपये 37,080/— कुल रूपये 1,29,780/— का आरोपण किया गया।

अपीलार्थी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 1.1.2005 से स्वीकार की गई, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से पेश की गयी अपील राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 17.12.2005 से स्वीकार की गईं। कर बोर्ड के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई अपील माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए, पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। इस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.9.2009 से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रतिप्रेषित वाद में अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर विधिक भूल की है। बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित माल कार्य संविदा में प्रयुक्त होने हेतु आ रहा था। अपीलार्थी का मुख्यालय अहमदाबाद में है, जबकि ब्रांच ऑफिस उदयपुर में स्थित है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की करापवंचन की मंशा नहीं थी। इसलिए धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अवर अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि माल के दस्तावेज मुम्बई से अहमदाबाद के बने हुए थे, जबकि माल राजस्थान की सीमा में चैक किया गया है, जिससे सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। इस प्रकार माल परिवहन में स्पष्ट रूप से धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में भी व्यवहारी

लगातार.....3

द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त करते की गयी है, जिसके पश्चात सक्षम अधिकारी के समक्ष शास्ति आरोपण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार वक्त जांच परिवहनित माल से सम्बन्धित मुम्बई से अहमदाबाद के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। माल की चैकिंग वाणिज्यिक चैकपोस्ट मावल पर की गई। राजस्थान राज्य से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मैसर्स डी. पी. मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611** प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बिना दस्तावेज माल परिवहन किये जाने पर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय है। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान राज्य में माल आयात किये जाने से सम्बन्धित कोई दस्तावेज वक्त जांच उपलब्ध नहीं पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति एवं कर का आरोपण किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
20/06/14